

General Rules and Regulations for Narmad Bhavan

1. *A guest house is not a hotel. It is a facility of the Institute and its tariff is highly subsidized.*
2. Priority for accommodation will be accorded to guest covered under the category
3. The Institute reserves the right to cancel or refuse accommodation if it is satisfied that the stay of such person(s) is not in the interest of the Institute.
4. Smoking and consumption of alcohol, any intoxicated material weed ,chewing paan and tobacco is totally forbidden in guest house premises including rooms, corridors and lawns.
5. If a guest damages any institute property, litters the environment, spits, drinks, smokes, and misbehaves or causes any other nuisance, the institute shall recover from him (or from the person making the booking) the cost of correcting the damage along with a management cost and a punitive cost to be decided by the Guest House In-charge or higher authority.
6. Persons staying in the Guest House are not entitled to bring in unauthorized guest(s) to stay with them in the Guest House.
7. Male visitors/guests are not allowed in the rooms occupied by female guests and vice-versa. Exception for blood relations.
8. Pets are not allowed.
9. Cooking/Washing is not allowed in the rooms.
10. Proper dress-up is required in the Guest House premises.
11. Management of the guest house may at its discretion, cancel a booking or offer alternate accommodation.
12. Normally a booking in the Guest House can be made for a period of 3 days. This can be extended up to a maximum period of 7 days on special case which requires request in advance. Beyond that with the approval of competent authority. For part time Research Scholars, Ph.D. supervisor's approval will be required.
13. 100% payment for one day to be made if cancellations are not made 24 hours prior to the Commencement of Conference/Course/Program etc. and 48 hours in case of individual booking.
14. In advance 50% payment is to be made for bulk booking against confirmation for bulk booking, 50% of the rooms may be booked.
15. Guest House authority is not responsible for any kind of accident /theft or injuries to the guest during his/her stay in the Guest House.
16. 100% payment to be made at the time of check in (except Category. B).
17. The tariff is subject to change at any time without notice.
18. There shall be no concession in tariff if a room does not have air conditioning or if there is a failure of air conditioning, electricity, water supply, Wi-Fi or any other facility.
19. The room tariff does not include any meal, snacks or tea, **except drinking water.**
20. Children below 12 years may be accommodated with parents free of charge in the same room without extra bed.
21. There shall be no room service of food except drinking water.
22. Never leave any cash, jewellery, mobile phone or other valuables in the room. It is not feasible to provide security to your valuables.
23. Please close the windows and switch off air conditioner, geyser and T.V. whenever you leave the room.
24. Please leave the room keys at Front Desk when you go out even temporarily.
25. Your suggestions are valuable to us. Please fill up the suggestions card and drop in the suggestion box kept at the Front Desk.
26. Keep the guest house clean and tidy at all times. Please never drop a piece of waste paper or plastic outside the dust bin.
27. Not pay tips to the staff.
28. The Guest may check in at any time. However, for the purpose of accounting, a day means 24 hours from the time of occupation/arrival. **Fraction of day will be counted as full day.**
29. Notwithstanding anything stated in these regulations, the Director, at his discretion, can authorize administrative measures different from those stated above for meeting unanticipated circumstances, or the improvement of services.

Director, SVNIT

नर्मद भवन के लिए सामान्य नियम और शर्तें

1. गेस्ट हाउस कोई होटल नहीं है। यह संस्थान की एक सुविधा है और इसका किराया (टैरिफ) बहुत कम रखा गया है।
2. रहने की जगह देने में उन मेहमानों को प्राथमिकता दी जाएगी जो निर्धारित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं।
3. संस्थान के पास यह अधिकार सुरक्षित है कि यदि उसे यह लगे कि किसी व्यक्ति (या व्यक्तियों) का यहाँ रहना संस्थान के हित में नहीं है, तो वह उनकी बुकिंग रद्द कर सकता है या उन्हें रहने की अनुमति देने से मना कर सकता है।
4. गेस्ट हाउस परिसर के अंदर—जिसमें कमरे, गलियारे और लॉन शामिल हैं—धूम्रपान करना, शराब पीना, किसी भी तरह का नशीला पदार्थ (जैसे गांजा/वीड) लेना, पान या तंबाकू चबाना पूरी तरह से मना है।
5. यदि कोई मेहमान संस्थान की किसी संपत्ति को नुकसान पहुँचाता है, परिसर में गंदगी फैलाता है, धूकता है, शराब पीता है, धूम्रपान करता है, दुर्व्यवहार करता है, या किसी भी तरह की अन्य परेशानी खड़ी करता है, तो संस्थान उससे (या जिसने बुकिंग करवाई है उस व्यक्ति से) नुकसान की भरपाई का खर्च वसूलेगा। इसके साथ ही, गेस्ट हाउस प्रभारी या किसी उच्च अधिकारी द्वारा तय किया गया प्रबंधन शुल्क और दंडात्मक शुल्क भी वसूला जाएगा।
6. गेस्ट हाउस में रहने वाले व्यक्तियों को यह अनुमति नहीं है कि वे अपने साथ किसी ऐसे मेहमान को ठहराएँ जिसकी बुकिंग पहले से न हुई हो (यानी अनधिकृत मेहमानों को साथ रखना मना है)।
7. महिला मेहमानों के कमरों में पुरुष आगंतुकों/मेहमानों का प्रवेश वर्जित है, और इसी तरह पुरुष मेहमानों के कमरों में महिला आगंतुकों/मेहमानों का प्रवेश वर्जित है। केवल रक्त-संबंधी (परिवार के करीबी सदस्य) होने पर ही इस नियम में छूट दी जा सकती है।
8. गेस्ट हाउस में पालतू जानवरों को लाने की अनुमति नहीं है।
9. कमरों के अंदर खाना पकाने या कपड़े धोने की अनुमति नहीं है।
10. गेस्ट हाउस परिसर के अंदर उचित और शालीन वेशभूषा पहनना अनिवार्य है।
11. गेस्ट हाउस का प्रबंधन अपने विवेक से, किसी भी बुकिंग को रद्द कर सकता है या मेहमान को रहने के लिए कोई वैकल्पिक कमरा (दूसरी जगह) दे सकता है।
12. सामान्य तौर पर, गेस्ट हाउस में बुकिंग 3 दिनों की अवधि के लिए की जा सकती है। विशेष परिस्थितियों में, और पहले से अनुरोध करने पर, इस अवधि को अधिकतम 7 दिनों तक बढ़ाया जा सकता है। 7 दिनों से अधिक की अवधि के लिए बुकिंग करने हेतु सक्षम अधिकारी की अनुमति लेना अनिवार्य होगा। अंशकालिक (Part-time) शोधार्थियों (Research Scholars) के लिए, उनके Ph.D. सुपरवाइज़र की अनुमति लेना आवश्यक होगा।
13. यदि किसी कॉन्फ्रेंस, कोर्स, कार्यक्रम आदि के शुरू होने से 24 घंटे पहले (और व्यक्तिगत बुकिंग के मामले में 48 घंटे पहले) बुकिंग रद्द नहीं की जाती है, तो एक दिन का पूरा किराया (100% भुगतान) वसूला जाएगा।
14. बड़ी संख्या में कमरों की बुकिंग (Bulk booking) के लिए, बुकिंग की पुष्टि होने पर 50% भुगतान अग्रिम रूप से (पहले ही) करना अनिवार्य है; इस अग्रिम भुगतान के आधार पर, कुल उपलब्ध कमरों में से 50% कमरे बुक किए जा सकते हैं। 15. गेस्ट हाउस में ठहरने के दौरान मेहमान को किसी भी तरह की दुर्घटना/चोरी या चोट लगने पर गेस्ट हाउस प्रशासन जिम्मेदार नहीं होगा।
16. चेक-इन के समय 100% पेमेंट करना होगा (Category B को छोड़कर)।
17. किराया बिना किसी सूचना के कभी भी बदला जा सकता है।
18. अगर कमरे में AC नहीं है, या AC, बिजली, पानी की सप्लाई, Wi-Fi या कोई अन्य सुविधा खराब हो जाती है, तो किराए में कोई छूट नहीं मिलेगी।
19. कमरे के किराए में पीने के पानी को छोड़कर कोई भी खाना, नाश्ता या चाय शामिल नहीं है।
20. 12 साल से कम उम्र के बच्चे अपने माता-पिता के साथ उसी कमरे में बिना किसी अतिरिक्त बिस्तर के मुफ्त में रह सकते हैं।
21. पीने के पानी को छोड़कर खाने के लिए कोई रूम सर्विस नहीं मिलेगी।
22. कमरे में कभी भी कैश, गहने, मोबाइल फ़ोन या अन्य कीमती सामान न छोड़ें। आपके कीमती सामान की सुरक्षा करना हमारे लिए संभव नहीं है।
23. जब भी आप कमरे से बाहर निकलें, तो कृपया खिड़कियाँ बंद कर दें और AC, गीज़र और T.V. बंद कर दें।
24. जब भी आप बाहर जाएँ, चाहे कुछ समय के लिए ही क्यों न हो, कृपया कमरे की चाबियाँ फ्रंट डेस्क पर छोड़ दें।
25. आपके सुझाव हमारे लिए कीमती हैं। कृपया सुझाव कार्ड भरें और उसे फ्रंट डेस्क पर रखे सुझाव बॉक्स में डाल दें।
26. गेस्ट हाउस को हर समय साफ़-सुथरा रखें। कृपया कूड़ेदान के बाहर कागज़ का कोई टुकड़ा या प्लास्टिक कभी न फेंकें।
27. स्टाफ़ को कोई टिप न दें।
28. मेहमान किसी भी समय चेक-इन कर सकते हैं। हालाँकि, हिसाब-किताब के लिए, एक दिन का मतलब कमरे में आने/ठहरने के समय से 24 घंटे होता है। दिन के किसी भी हिस्से को पूरा दिन माना जाएगा।
29. इन नियमों में कहीं गई किसी भी बात के बावजूद, डायरेक्टर अपने विवेक से, अप्रत्याशित परिस्थितियों से निपटने या सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए, ऊपर बताए गए उपायों से अलग प्रशासनिक उपाय करने का अधिकार रखते हैं।